रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1229]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2017/वैशाख 13, 1939
No. 1229]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2017/VAISAKHA 13, 1939

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

का.आ. 1392(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और कि, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) (क) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, (ख) संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करना और (ग) मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से सांस्कृतिक अनुसंधान हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति (एक साथ जिन्हें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) स्कीमों का प्रशासन कर रहा है;

और कि, स्कीमों के अधीन छात्रवृत्ति या अध्येतावृत्ति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समितियों या राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दो वर्ष की अवधि के लिए अर्द्ध वार्षिक आधार पर संदत्त को जाती है;

और कि, स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं में भारतीय संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग प्राप्त करने के किसी पात्र व्यक्ति से उसके पास आधार होने का प्रमाण देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार सभी ऐसे पात्र फायदाग्राहियों से जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक हैं, 31 मई, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परन्तु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हों तथा ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से उसके ऐसे कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से जो किसी व्यक्ति से आधार उपलब्ध कराने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने आधार के लिए नामांकन प्रस्तुत नहीं किया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है तथा संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई भी आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की दशा में, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।

परन्तु फायदाग्राहियों का आधार नियत किए जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान की पर्ची; या

(ii) पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (ख) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए किए गए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; तथा

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कॉर्ड; या (ii) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी उसके सरकारी लेटरहैड पर फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र ; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड जिसमें नाम और फोटो दिया गया हो ; या (vii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधा रहित प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, अर्थात् :-

(क) फायदाग्राहियों को स्कीमों के अधीन आधार की अपेक्षा के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और उन्हें सलाह दी जाएगी कि यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है, तो 31 मई, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों

में अपने को नामांकित कराएं और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील निकटतम क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन करने में असमर्थ हैं तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करेगा और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे मंत्रालय या कार्यान्वयन अभिकरणों के संबंधित पदधारियों या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप पैरा (3) के पहले परन्तुक के अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपने-अपने अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 16018/12/2015-पीएंडबी (डीबीटी सेल)]

एम. एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2017

S.O. 1392(E).—Whereas the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Culture (hereinafter referred to as Ministry) in the Government of India is administering the Schemes of (a) Award of Scholarship to Young Artistes in different cultural fields, (b) Award of Fellowships to Outstanding Persons in the field of culture and (c) Tagore National Fellowship and Scholarship for Cultural Research (together hereinafter referred to as the Schemes) through Autonomous Bodies under the Ministry (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the financial assistance is provided under the Schemes in the form of scholarship or fellowship (hereinafter referred to as benefits) that is paid on a half yearly basis for a period of two years to individuals (hereinafter referred to as the beneficiaries) who are selected by Expert Committees or National Selection Committee constituted for this purpose;

And whereas, the benefits under the Schemes involve recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) All eligible beneficiaries entitled to receive benefits under the Schemes, who do not possess the Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme shall be required to make application for Aadhaar enrolment by 31st May, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, which requires an Individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementation Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming itself the UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary, the benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely :-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2;

and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India ; or (ii) Permanent Account Number Card ; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by the Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by any Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) any other document as specified by the Ministry;

Provided, further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centers available in their areas by 31st May, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centers (list available on www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Schemes are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Ministry or Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 16018/12/2015-P&B (DBT Cell)]

M. L. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.06 10:13:56 +05'30'